पीड़ित से खर्चा वसूली

14 वर्षीय श्याम की हत्या, पुलिस ने मांगे 1000 रुपये

फ़रीदाबाद (म.मो.) अभी एक महीना भी नहीं हुआ जब फ़रीदाबाद पुलिस ने एक पीड़ित से उसकी गुमशुदा बेटी की तलाश हेतु कार का खर्चा मांगा था। जब मामला अखबारों में प्रकाशित हो गया तो पुलिस प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा इस काम के लिये पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त खर्चा दिया जाता है। इसके बावजूद खर्चा मांगने की घटनाएं लगातार इसलिये बढ रही हैं कि रिश्वतखोरों के खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

डबुआ निवासी लोकनाथ ने इस संवाददाता को बताया कि उनका 14 वर्षीय पुत्र श्याम 13 दिसम्बर को गुम हो गया था। वह अक्सर अपने दोस्त गौरव, जिसके पिता दशरथ एक नम्बर में कचौड़ी की रेहड़ी लगाते हैं, के साथ ही रहता था। जब वह देर रात तक घर नहीं आया तो उसके परिजनों ने पुलिस के 112 नम्बर पर फ़ोन किया तो उन्हें थाना डबुआ जाने के लिये कहा गया। रात करीब 12 बजे जब ये लोग थाने पहुंचे तो पुलिस ने इनकी रपट तक दर्ज नहीं करी। अगले दिन दोपहर को डेढ़ बजे मुकदमा दर्ज किया।

लेकिन जिनका बालक गुम था वे भला कैसे सो सकते थे? इसलिये परिजन रात भर उसे ढूंढते रहे। अगली सुबह ये लोग दशरथ रेहड़ी वाले के पास पहुंचे तो वहां न तो दशरथ था न उसका बेटा गौरव। अपने स्तर पर पूछ-ताछ करने पर आस-पास के लोगों ने बताया कि कल गौरव का किसी लड़के से भयंकर झगड़ा हुआ था। श्याम के परिजन तुरन्त समझ गये कि गौरव

पिता लोकनाथ

पुत्र श्याम

का झगड़ा उनके बेटे से ही हुआ होगा। वास्तव में यह पूछ-ताछ एवं छान-बीन करना पुलिस का ही काम था जो उन्होंने नहीं किया।

बाप-बेटे के लापता होने से श्याम के परिजनों का संदेह और भी गहरा गया। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि गौरव व उसका पिता शहर छोड़कर अपने गृह राज्य बिहार की ओर निकल गये होंगे। थाने के एएसआई जमशेद खान ने भगोड़े पिता-पुत्र की तलाश में आनंद विहार रेलवे टर्मिनल तक जाने के लिये एक हजार रुपये मांगे जो श्याम के पिता ने जैसे-तैसे करके उसे दे दिये। लेकिन जब यह मामला एसीपी के नोटिस में लाया गया तो खान द्वारा लिये गये हजार रुपये वापिस कर दिये गये। पैसे तो वापिस हो गये लेकिन कोताही करने वाले एएसआई के विरुद्ध अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई।

परिजनों द्वारा भगोड़े बाप-बेटी की तलाश का तो कोई परिणाम नहीं निकला, परन्तु 16 तारीख को श्याम की लाश, सूरजकुंड रोड स्थित खालसा गार्डन के निकट झाड़ियों से बरामद हो गई। जाहिर है कि पहले से लिखी गई रपट गुमशुदगी अब हत्या के केस में बदल गई। अब हत्यारों को ढूंढने के लिये भाग-दौड़ करने के लिये पुलिस, गरीब परिजनों से कितने पैसे और मांगेगी? पुलिस द्वारा इस तरह की मांग का किया जाना कोई नई बात नहीं है। लगभग हर केस में मुकदमा दर्ज करने से लेकर केस पूरा होने तक पुलिस हर कदम पर वसूली करती रहती है।

यूं तो हर थाने-चौकी का हाल बेहाल है परन्तु पिछले कुछ दिनों से थाना डबुआ के काले कारनामें कुछ ज्यादा ही प्रकाश में आ रहे हैं। इसी माह थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे एक पीड़ित के दांत तक भी एक हवलदार साहब ने तोड़ दिये। कायदे से तो हवलदार साहब के खिलाफ़ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके तुरन्त उसे हवालात में दे देना चाहिये था। परन्तु उसे केवल पुलिस लाइन में आराम करने के लिये भेज दिया गया।

पिछले सप्ताह मिंदर नामक एक व्यक्ति अपनी मोटसाइकिल की चोरी की रपट दर्ज कराने इसी थाने पहुंचा तो वहां मौजूद हवलदार सुरेन्द्र व रोहतास ने उसका केस दर्ज करने से इस आधार पर इन्कार कर दिया कि उसकी गाड़ी का बीमा नहीं है। बाद में मामला एसएचओ के नोटिस में लाया गया तो कहीं जाकर चार दिन बाद मुकदमा दर्ज हो पाया। लेकिन एसएचओ ने कोताही करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा, कोताही व रिश्वतखोरी के मामले सामने आने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न किये जाने के परिणामस्वरूप ही पुलिसकर्मियों को कोताही व रिश्वतखोरी की प्रेरणा मिलती है।

पुलिस का जनविरोधी रवैय्या

मृतक श्याम के परिजन जब शव लेने बीके अस्पताल पहुंचे तो गमगीन परिजन पुलिस के प्रति अपने आक्रोश को न रोक पाये और पुलिस के खिलाफ़ जमकर नारेबाज़ी करने लगे। सूचना मिलने पर एसीपी रमेश चंद्र दल-बल सहित मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को धमकाते हुए तथा गिरफ्तारी की धमकी देकर उन्हें चुप कराया। यही है पुलिस का रवैया, अपने भ्रष्ट एवं नालायक पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की बजाय पीड़ित लोगों को ही हड़का कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं।

मध्य प्रदेश में सामने आ गया हिंदू और हिंदुत्व के बीच का टकराव

सुसंस्कृति परिहार

अभी चंद रोज़ पहले ही राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व की मीमांसा करते हुए कहा था गांधी हिंदू थे और उनको मारने वाले गोडसे हिंदुत्ववादी थे। बेहद सरल शब्दों में एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने लोगों को दिया था तब कुछ लोगों ने उनसे धर्म के मुद्दे पर न उलझने की सलाह दी थी। लेकिन गत दिनों मध्यप्रदेश में एक? कबीर पंथी हिंदू को मार डाला हिंदुत्व वादियों ने। यह राहुल गांधी की बात को समझने के लिए काफ़ी है। अब हिंदू भी एक बार फिर गोडसेवादियों निशाने पर है।

घटना एमपी के मन्दसौर जिले के भैंसोदा मंडी की है जहां बजरंगदल और विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं ने संत रामपाल के अनुयायियों को जो दलितों के दहेज रहित विवाह कार्यक्रम करवा रहे थे। कार्यक्रम में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जिसमें देवीलाल नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। घटना के बाद हिन्दू समाज के लोग इन हिंदुत्ववादियों की खोज कर रहे हैं। वजह क्या थी कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। किंतु पत्रिका अख़बार के मुताबिक़ संत रामपाल के अनुयायी जो इस वैवाहिक आयोजन में शामिल थे, ने पुलिस को जानकारी दी कि उपद्रवी यह आरोप लगा रहे थे कि यह विवाह धर्म विरुद्ध है। पुलिस इसे एक सामान्य घटना के तौर पर देख रही है लेकिन इसकी वजहें काफ़ी गहरी हैं तथा उनके पीछे सामाजिक और राजनैतिक ताकतें नज़र आ रही हैं।

सूत्रों के मुताबिक संत रामपाल क्रांतिकारी कवि कबीर के अनुयायी हैं और उनके शिष्य धर्म के नाम पर पाखंड का विरोध करते हैं। यहां यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि शायद ऐसे ही किसी मामले पर ये प्रगतिशील सोच आड़े आ गई होगी। कबीर तो कबीर थे उनके निशाने पर केवल पाखंडी हिंदू ही नहीं बल्कि तत्कालीन समय के मुसलमान भी थे। भक्तिकालीन संतों ने सनातन धर्म की विकृतियों का भी खुलकर विरोध किया था। इसलिए समाज के कथित निचले तबके के लोग जो वर्ण व्यवस्था से पीड़ित थे इनकी ओर आकर्षित हुए। कबीर के नाम को लेकर अनेक डेरे और संस्थाएं बन गई हैं। ऐसे ही एक डेरे का यह कथित संत रामपाल भी है। जिनकी वजह से हिंदुत्ववादी लोगों का क्रोध जागृत हो गया और एक व्यक्ति को अपनी जान खोनी पड़ी।

जैसा कि समाचार पत्र पत्रिका के अनुसार हमलावर आयोजन को धर्म विरुद्ध बता रहे हैं वहीं पीड़ित पक्ष इसे रीति रिवाज के अनुसार विवाह होना बता रहा है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों हिंदूवादी संगठन दहेज के न लेन-देन को धर्म विरोधी बता रहे थे अथवा धार्मिक संस्कारों को? उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए था। वैसे वैवाहिक, धार्मिक परंपराएं अलग-अलग सामाजिक, जातीय समूहों में भिन्न-भिन्न रही हैं। कौन सा समाज किस रीति से विवाह आयोजित करता है, यह उनका निजी मामला है। इससे न तो किसी को एतराज़ होना चाहिए, न ही विवाद करना चाहिए।

सनातन हिंदू धार्मिक परंपरा में वर्ण व्यवस्था आज भी प्रभावशाली है। उसमें कबीर का समायोजन संभव नहीं रहा है। मध्ययुगीन सामंतकालीन भारत में तो कबीर को यह कहने की आजादी थी कि "पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोए" लेकिन वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सहिष्णुता संभव

नहीं रही है। संत रामपाल पर हिंदू देवी-देवताओं के अपमान का आरोप लगता रहा है। जिसके कारण वे हिंदुत्ववादी संगठनों के निशाने पर रहे हैं। आरोप है कि संत रामपाल द्वारा प्रकाशित साहित्य में गीता और रामायण पर जो टिप्पणियां की गई हैं, हिंदुत्ववादी उसे अपमानजनक मानते हैं। उन पर दूसरा आरोप है कि वे स्वयं को भगवान कहलाना प्रचारित करते हैं। वे संत कबीर को भी भगवान कहते हैं। सनातनी ईश्वर के अवतरण की परंपरा में यह संभव नहीं है। उनके समर्थकों के अनुसार संत रामपाल समाज सुधारक हैं उन्होंने दहेज प्रथा और नशे से अपने अनुयायियों को मुक्त करवाया है। वर्ष 2006 में संत रामपाल ने महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित "सत्यार्थ प्रकाश" के कुछ भागों पर आपत्ति व्यक्ति की थी। गुस्साए आर्य समाजियों ने 12 जुलाई 2006 को हरियाणा स्थित उनके सतलोक आश्रम को घेर लिया वहां हुई हिंसा में एक आर्य समाजी की मृत्यु हो गई। संत पर हत्या का आरोप लगा। वर्ष 2008 में वे जमानत पर रिहा हुए।

अदालत के आदेश पर 19 नवंबर 2014 को पुन: जब पुलिस संत को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसकी समर्थकों से झड़प हो गई जिसमें 5 महिलाओं और एक बालक की मृत्यु हो गई थी जिसका मुकदमा संत रामपाल पर ही बनाया गया। रामपाल के अनुयाई इसे षड्यंत्र और अन्याय बताते हुए संपूर्ण घटना क्रम की सीबीआई से जांच करवाने की मांग करते रहे हैं। ऐसी घटना हरियाणा के बरवाल स्थित आश्रम में भी हुई। वहां भी घटना का दोषी संत को मानते हुए 11 अक्टूबर 2018 को हिसार की अदालत ने संत रामपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

संपूर्ण घटना क्रम की पृष्ठभूमि में जयपुर में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववादियों का जो फर्क बताया था, बजरंग दल और विहिप ने उसे सही साबित कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार विष्णु बैरागी ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि "यह है हिंदू धर्म और हिंदुत्व के अंतर का प्रभावी उदाहरण। इस घटना में मरने वाला भी हिंदू है और मारने वाला भी हिंदू है। यदि बात हिंदू धर्म की होती तो यह हमला और हत्या होनी ही नहीं चाहिए थी। किंतु मरने वालों का हिंदू धर्म मारने वाले हिंदुत्ववादियों को मंजूर नहीं था, इसलिए जो हिंदुत्ववादी नहीं, वह हिंदू नहीं। जो हिन्दू है वह इसलिए मारा जाएगा कि वह हिंदुत्ववादी नहीं है।"

लगता है संघ और बजरंग दल के हिंदुत्ववाद का पहला असर मध्यप्रदेश में दिखने लगा है। बजरंगियों द्वारा हिंसा का नग्न तांडव करने के बाद वहां हिन्दू वर्सेज बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद हो गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिन्दू और हिंदुत्व की बीमारी का प्रवेश मध्यप्रदेश में भी शुरु हो गया है। समय रहते इस बीमारी को फैलने से रोकना होगा। ख़ास तौर से दलित संगठनों में धर्म के पाखंड से मुक्ति हेतु विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ ही इस घटना के तमाम दोषियों को शीघ्र पकड़ने और दंडित करने की जरूरत है। इसे राजनीति का हिस्सा न बनाएं वरना शांति का टापू मध्यप्रदेश भी सुलग सकता है।